FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0030 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/02/2026 16:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 30/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:02 बजे **Time To (समय तक):** 14:01 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/02/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/02/2026 16:53:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 82 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PRATHMIK SWASTHYA KENDRA, GRAM TOLIYASAR, SHRI DUNGARGARH JILA BIKANER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAMTA PUROHIT

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** JAGDISH SINGH RAJPUROHIT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TOLIYASAR, SHRIDUNGARGARH, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GWALNADA, KALYANPUR, बालोतरा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	REKHA KUMARI		पति:ANIL KUMAR	1. V.P.O.,CHANDGOTHI,RAJGARH ,CHURU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,निवेदन है कि दिनांक 22-01-2026 को वक्त 10.02 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक जय कुमार के मोबाईल नम्बर पर मोबाईल नम्बर से कॉल आया जिस पर सामने से बोलने वाली ने अपना नाम श्रीमती ममता पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बताते हुए कहा कि आपके मोबाईल नम्बर हमें जयपुर से मिले है। मैं हमारे गांव तोलियासर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेरी प्रथम डिलीवरी का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेने के लिए गई तो वहां पर कार्यरत एएनएम श्रीमती रेखा मिली जिसने मेरी प्रथम डिलीवरी का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑनलाईन करने व नया ममता कार्ड बनाने के लिए 1500 रूपये खर्चा-पानी की मांग की। मैं श्रीमती रेखा एएनएम को 1500 रूपये नही देना चाहती हूं, कानूनी कार्यवाही करवाना चाहती हूं। मैं अभी मेरे पीहर गांव तोलियासर में हूं तथा 5–6 महीने की गर्भवती हूं, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यवाही करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कहा तो बताया कि मैं 5–6 महीने की गर्भवती हूं तथा मेरे पास बीकानेर आने का कोई निजी साधन नही है, बस से आने मे परेशानी होती है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्रीमती ममता को सुविधानुसार जगह पर आने के लिए कहा तो श्रीमती ममता ने बताया कि मैं डूंगरगढ कस्बा में आ सकती हूं। उपरोक्त दूरभाष ईतला के सम्बन्ध में मन् पुलिस निरीक्षक ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया जिस पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। ईतला देने वाली महिला होने से सत्यापन कार्यवाही हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसयू) बीकानेर से महिला कानिस्टेबल को तलब किये जाने पर श्रीमती बिमला महिला कानि. 229 कार्यालय में उपस्थित आई। सत्यापन हेतु एच.एम. मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकार्डर (डीवीआर) मय नये मेमोरी कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश पर श्री राजेन्द्र नाई हैड कानिस्टेबल एच.एम. मालखाना ने एक डी.वी.आर मय नया 16 जीबी सिमट्रोनिक्स कम्पनी का पैक्ड मैमोरी कार्ड लाकर पेश किया। श्रीमती बिमला महिला कानि. को ईतला के सम्बन्ध में अवगत कराया तथा डीवीआर में वार्ता रिकार्ड करवाने की प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। वक्त 10.50 ए.एम पर श्रीमती बिमला महिला कानि. की उपस्थित में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यवाही में प्रयुक्त किये जाने वाले सरकारी डीवीआर में 16 जीबी का नया मैमोरी कार्ड स्थापित किया जाकर जरिये फर्द सुपुर्दगी डीवीआर श्रीमती बिमला महिला कानि. को सुपुर्द किया। तत्पश्चात 11.05 ए.एम पर परिवादियां श्रीमती ममता पुरोहित को श्रीडूंगरगढ़ में उपस्थित आने के लिये बताया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री जगदीश चौधरी सउनि. एवं श्रीमती बिमला महिला कानि. के मय कार्यालय में उपलब्ध लैपटॉप, प्रिन्टर व अन्य आवश्यक सामग्री हमराह लेकर निजी कार से रवाना श्रीडूंगरगढ को हुआ। वक्त 12.10 पी.एम. पर कस्बा श्रीडूंगरगढ पंहुचा। परिवादिया श्रीमती ममता से जरिये दूरभाष वार्ता की गई तो परिवादिया ने बताया कि मै श्रीडूंगरगढ में जयपुर रोड़ पर आ गई हूं। इस पर परिवादियां को सरदारशहर रोड़ अम्बेडकर पार्क के सामने आने के लिए कहा तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने निजी कार के नम्बर से अवगत कराया जिस पर कुछ समय बाद दो महिलाऐं कार के पास उपस्थित आई। एक महिला ने अपना नाम ममता पुरोहित तथा साथ वाली महिला को अपनी माताजी होना बताया। श्रीमती ममता पुरोहित से पूर्व में मिली ईतला के सम्बन्ध में चर्चा की गई तो श्रीमती ममता पुरोहित ने अपना हस्तलिखित प्रार्थना पत्र जो श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो, बीकानेर के नाम सम्बोधित है, पेश किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराहीयान की मौजूदगी में परिवादिया के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित पत्नी श्री जगदीशसिंह राजपुरोहित उम्र 36 वर्ष पेशा गृहणी निवासी ग्वालनाडा जिला बाड़मेर हाल पीहर गांव तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर से दरियाफ्त की गई तो श्रीमती ममता पुरोहित ने बताया कि मेरी शादी दिनांक 13.12.2015 को जगदीशसिंह राजपुरोहित के साथ हुई थी, मेरे पति जोधपुर में बालसमन्द इलाके में किराना की दुकान करते हैं। शादी के बाद मेरे एक लड़का भावेश राजपुरोहित का जन्म दिनांक 2.09.2016 को हमारे गांव तोलियासर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हुआ था। अभी मै अपने माता-पिता के पास गांव तोलियासर आई हुई हूं तथा करीब चार-पांच माह की गर्भवती हूं। मै दिनांक 19.01.2026 को हमारे गांव तोलियासर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयरन व कैल्शियम की टेबलेट लेने के लिए गई तो स्वास्थ्य केन्द्र मे उपस्थित एएनएम श्रीमती रेखा मिली जिसने मुझे आयरन व कैल्शियम की टेबलेट दी, मैने एएनएम रेखा को कहा कि मैं चार-पांच महिने की गर्भवती हूं और मुझे ममता कार्ड बनवाना है तथा मेरी पहली डिलीवरी आपके इसी स्वास्थ्य केन्द्र मे हुई थी उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑनलाईन नही हुआ है जिसके कारण मेरा ममता कार्ड नही बन रहा है,

मेरे पति मेरे ससुराल ग्वालमाडा जिला बाड़मेर के स्वास्थ्य केन्द्र में ममता कार्ड बनवाने के लिए गये तो उनको वहां पर पहले वाली डिलीवरी का डिस्चार्ज कार्ड ऑनलाईन होने पर ही दूसरा ममता कार्ड बनना बताया है इसलिये आप मेरी प्रथम डिलीवरी का डिस्चार्ज कार्ड ऑनलाईन कर दो ताकि मेरा ममता कार्ड बन जाए। जिस पर एएनएम श्रीमती रेखा ने डिस्चार्ज कार्ड ऑनलाईन करने के बदले 1500 रूपये खर्चा-पानी के मांगे है। कल दिनांक 21.01.2026 को मैं दुबारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोलियासर में गई और एएनएम श्रीमती रेखा से मिली तो उसने डिस्चार्ज कार्ड ऑनलाईन करने के 1500 रूपये व ममता कार्ड बनवाने के 500 रूपये खर्चा-पानी के पुनः मांगे तो मैने 500 रूपये एएनएम रेखा को उसी समय दे दिये, एएनएम रेखा ने मेरा आधार कार्ड, पहले वाला ममता कार्ड व ऑनलाईन आई समस्या का स्क्रीन शॉट मांगे जिस पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर से श्रीमती रेखा एएनएम के मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्सएप भेजे थे। श्रीमती रेखा एएनएम द्वारा मेरे जायज कार्य के बदले रिश्वत मांगने पर मेरे पति श्री जगदीशसिंह ने जयपुर एसीबी में जरिये मोबाईल शिकायत की थी फिर मुझे आपके नम्बर जयपुर से मिले थे। श्रीमती रेखा एएनएम से मेरी कोई रंजिश नही है ना ही कोई रूपयो का कोई पुराना लेन-देन है। कानूनी कार्यवाही चाहती हू। परिवादिया ने हस्तलिखित रिपोर्ट स्वयं के हस्ताक्षर व हस्तलिपि में होना बताया। रिपोर्ट परिवादिया एवं पूछताछ से मामला पी.सी. एक्ट की परिधि में आना पाये जाने से परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की प्रक्रिया के बारे में बताया तो परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित ने बताया कि मै स्वास्थ्य केन्द्र तोलियासर में एएनएम से वार्ता करके सत्यापन करवा दूंगी। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ एवं परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित तथा परिवादिया की माता श्रीमती परमेश्वरी को साथ लेकर जरिये निजी कार से कस्बा श्रीडूंगरगढ से गांव तोलियासर के लिए रवाना होकर गांव तोलियासर में उचित स्थान पर मुकीम होकर श्रीमती बिमला महिला कानि. को डीवीआर चालू कर परिवादिया को सुपुर्द करने के निर्देश दिये तो श्रीमती बिमला महिला कानि. ने बताया कि अभी रास्ते में परिवादिया को समझाईश के दौरान सहवन से डीवीआर चालू हो गई थी इस पर डीवीआर को चैक किया गया तो डीवीआर के मैमोरी कार्ड में एक ऑडियो फाईल सेव होनी पाई गई। तत्पश्चात् सत्यापन हेतु श्रीमती बिमला महिला कानि. से डीवीआर चालू करवाकर परिवादिया श्रीमती ममता को सुपुर्द करवाया गया एवं परिवादिया को सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना किया जाकर परिवादिया की निगरानी हेतु श्रीमती बिमला महिला कानि. को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोलियासर के लिए रवाना किया गया तथा परिवादिया की माता श्रीमती परेश्वरी देवी को जाने की इजाजत दी गई। वक्त 01.44 पी.एम. पर श्रीमती बिमला महिला कानि. मय परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित के बाद सत्यापन मुकीम स्थान पर उपस्थित आई। श्रीमती बिमला महिला कानि. ने डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि परिवादिया श्री ममता स्वास्थ्य केन्द्र से वापिस आने पर मैने गोपनीय रूप से डीवीआर प्राप्त कर बन्द कर लिया था। श्रीमती ममता पुरोहित ने बताया कि स्वास्थ्य केन्द्र में श्रीमती रेखा एएनएम से मिली, मैने ममता कार्ड बनवाने का कहा तो रेखा एएनएम ने कहा कि पांच सौ रूपये लगेंगे उसके तो यहां बनवाओगे तो मैने कहा बन तो जायेगा ना इस पर एएनएम श्रीमती रेखा ने कहा कि'बन तो नहीं सकता फिर भी बना देंगे और डिस्चार्ज कार्ड ऑनलाईन करने का पूछा तो कहा कि ऑन लाईन करवा दिया है लेकिन वो तो पन्द्रह सौ मेरे कम्पलीट करना है। श्रीमती रेखा एएनएम ने ममता कार्ड के 500 रूपये एवं डिस्चार्ज कार्ड ऑनलाईन करने के बदले में 1500 रूपये रिश्वत की मांग की है। डीवीआर को चालू कर सुना गया तो परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित की बताई बात का सत्यापन हुआ। सत्यापन वार्ता में संदिग्ध एएनएम श्रीमती रेखा द्वारा परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित को रिश्वत की राशि दिनांक 26.01.2026 के बाद देने लिए कहा है जिस पर परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित को आगामी कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया व सम्पूर्ण कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की। परिवादिया श्रीमती ममता ने कहा कि मैं 27 या 28 तारीख को आगामी कार्यवाही के लिए आपके पास कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगी। इस पर परिवादिया श्रीमती ममता को उसके निवास स्थान के पास छोड़ा गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान एवं डीवीआर के निजी साधन से बीकानेर के लिए रवाना होकर वक्त 06.15 पी.एम. पर कार्यालय हाजा पहुंचा। डीवीआर को सुरक्षित मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास लोहे की आलमारी में रखा। सम्पूर्ण हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये। श्रीमती बिमला महिला कानि. को जाय तैनाती के लिए रूखस्त किया गया। सत्यापन कार्यवाही दिनांक 22.01.2026 के क्रम में दिनांक 27.01.2026 को कार्यवाही हेतु दो स्वतत्र गवाह कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा सम्भाग बीकानेर के नाम तहरीर जारी कर तलब किये जाने पर श्री फिरोज खान भाटी एवं श्री सुमित गिरि उपस्थित आये हैं। दोनों कार्मिकों को ब्यूरो कार्यालय में बुलाये जाने का प्रयोजन बताकर ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही जाने पर दोनों ने अपनी-अपनी स्वैच्छिक सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान को आगामी कार्यवाही हेतु बुलाने पर उपस्थित आने की हिदायत की जाकर रवाना किया गया। वक्त 02.07 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादिया के पति श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित के फोन नम्बर से कॉल आया व बताया कि मेरी पत्नी ममता पुरोहित ने एएनएम रेखा से सम्पर्क किया गया तो उसने दो दिन बाद तोलियासर आने का बताया है। तत्पश्चात दिनांक 29.01.2026 को 06.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादिया के पति श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित के फोन नम्बर से कॉल आया व बताया कि मेरी पत्नी ममता पुरोहित ने गांव में

एएनएम रेखा का पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह तोलियासर में कल अपनी ड्यूटी पर आयेगी, जो कल रिश्वत की राशि ले सकती हैं। जिस पर परिवादिया के पति को हिदायत की गई कि ममता को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि सहित कल दिनांक 30.01.2026 को कार्यालय में 09.00 ए.एम. पर उपस्थित होवें। स्वतंत्र गवाहान को जरिये दूरभाष दिनांक 30.01.2026 को कार्यालय हाजा पर 09.00 ए.एम. पर उपस्थित आने हेतु हिदायत दी गई। दिनांक 30.01.2026 को वक्त 09.45 ए.एम पर पूर्व से जरिये दूरभाष पाबन्दशुदा गवाहान श्री फिरोज खान भाटी एवं श्री सुमित गिरि ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। दोनों गवाहान को कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये। वक्त 10.10 ए.एम पर परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित अपने पति श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित के साथ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आई। कार्यालय में उपस्थित दोनों गवाहान से ब्यूरो की कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाहने पर दोनों ने अपनी-अपनी स्वैच्छिक सहमति दी जिस पर दोनों गवाहान का परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादिया की रिपोर्ट पर की गई सत्यापन की कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाते हुए दोनों को कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह शामिल किया गया। वक्त 10.15 ए.एम. पर सत्यापन वार्ता दिनांक 22.01.2026 के डीवीआर को कार्यालय कम्प्यूटर पर कनेक्ट करके रूबरू स्वतन्त्र गवाहान, परिवादिया की उपस्थिति में रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार करनी प्रारम्भ की गई। रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड से दो पेन ड्राईव तैयार किये जाकर एक पेन ड्राईव को सील चिट किया गया तथा दूसरे पेन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड को डीवीआर से निकाल कर सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील चिट किया गया। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व उक्त सीलशुदा वजह सबूत की थैली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.50 ए.एम पर निर्देशानुसार परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित द्वारा रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के तीन नोट क्रमश नम्बर 5 AD 491757, 6 MP 430009, 7 KM 486625 भारतीय मुद्रा कुल 1500 रूपये पेश किये। तत्पश्चात श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक से सभी नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित की जामा तलाशी श्रीमती बिमला महिला कानि. से लिवाई जाकर परिवादिया के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट राशि 1500 रूपये परिवादिया के लेडिज पर्स में रखवाये गये। परिवादिया को हिदायत दी गई कि वह आरोपिया से मिलने पर रिश्वती राशि लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती राशि लेन-देन हो जाने के बाद आरोपिया से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपिया द्वारा मांगे जाने पर उसे देवे , लेन-देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपिया रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखती है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपनी पहनी हुई स्वटेर की बाजू ऊपर करने का ईशारा करें तथा यदि ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके ईशारा करे। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री इमरान खान, कनिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादिया व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउडर की आपसी रसायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादिया को समझाया गया , जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फैंकवाया जाकर उक्त गिलास को जलवाकर नष्ट किया गया। श्री इमरान खान , कनिष्ठ सहायक के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री इमरान खान , कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत कर कार्यालय में छोड़ा गया। मन पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित को उसके मोबाईल में दर्ज करवाये गये। वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित किया गया। डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कब्जा में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात वक्त 12.30 पी. एम पर मन् पुलिस निरीक्षक जयकुमार मय श्रीमती पिंकी गंगवाल पुलिस निरीक्षक, सर्वश्री बजरंग सिंह सउनि, जगदीश चौधरी सउनि, राजेन्द्र नाई हैड कानि. 127, रतन सिंह कानि. 151, हरीराम कानि. 210, दिलीप कानि. 71, श्रीमती बिमला मकानि. 229 व स्वतंत्र गवाहान श्री सुमित गिरी, अति. प्रशासनिक अधिकारी व श्री फिरोज खान भाटी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित व श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित को हमराह लेकर दो प्राईवेट वाहनों मय लेपटॉप, प्रिन्टर, अनुसंधान बॉक्स, ट्रेप बॉक्स के रवाना तोलियासर, तहसील श्रीडूंगरगढ़ को हुआ। समय 01.45 पी.एम पर तोलियासर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नजदीक पंहुचकर परिवादिया को आवश्यक समझाईश कर वक्त 01 .50 पी.एम. पर श्रीमती बिमला महिला कानि. से डीवीआर मय स्थापित मैमोरी कार्ड को चालू करवाकर परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित को सुपुर्द करवाया जाकर आरोपिया श्रीमती रेखा एएनएम से सम्पर्क करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोलियासर को रवाना किया गया। परिवादिया के पीछे-पीछे श्रीमती बिमला महिला कानि. को रवाना किया गया। परिवादियां के पति श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित को रूखस्त किया जाकर शेष टीम सहित मन् पुलिस निरीक्षक प्राथमिक

स्वास्थ्य के आस-पास परिवादिया के ईशारे के इन्तजार में मुकीम रहे। वक्त 02.01 पी.एम पर परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर इशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं शेष हमराही ब्यूरो स्टाफ के अविलम्ब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रवेश हुआ तो ओपीडी कक्ष के बाहर परिवादिया श्रीमती ममता खड़ी दिखाई दी तथा ओपीडी के पास ही श्रीमती बिमला महिला कानि. उपस्थित मिली। परिवादिया ने ओपीडी कक्ष में सामने कुर्सी पर बैठी महिला की तरफ इशारा कर बताया कि कुर्सी पर बैठी महिला रेखा एएनएम है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही सभी के ओपीडी कक्ष में प्रवेश हुआ। सामने कुर्सी पर बैठी हुई महिला को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे परिचय पूछा गया तो उक्त कुर्सी पर बैठी हुई महिला ने अपना नाम रेखा कुमारी पत्नी श्री अनिल कुमार उम्र 34 साल निवासी वीपीओ चांदगोठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू हाल नर्सिंग ऑफिसर (जीएनएम) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोलियासर में डेपूटेशन पर होना बताया। श्रीमती रेखा से परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित से 1500 रूपये रिश्वत राशि लिये जाने का पूछने पर बताया कि मैनें रिश्वत नहीं ली है दवाईयों के पैसे लिये हैं फिर बताया कि प्राईवेट दवाईयों के पैसे लिये हैं। मैनें रिश्वत नहीं ली। इस पर मौजूदा परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित ने बताया कि साहब इन्होनें मेरे से दवाईयों के पैसे नहीं लिये हैं। ममता कार्ड बनाने व डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑनलाईन करने के बदले 1500 रूपये रिश्वत के ही लिये हैं, रिश्वती राशि श्रीमती रेखा कुमारी जीएनएम के पहनी स्वेटर की दाहिनी जेब में है जिस पर श्रीमती रेखा कुमारी नर्सिंग ऑफिसर ने कोई प्रत्युत्तर नहीं किया। रिश्वत राशि लेन-देन की ताईद होने पर श्री बजरंग सिंह सउनि. से दो पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया जो सभी हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में श्रीमती रेखा कुमारी नर्सिंग ऑफिसर के बांये हाथ की अंगुलियां व अंगुठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरकर मार्क- L–1 व L–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् रंगहीन घोल के दूसरे गिलास में श्रीमती रेखा नर्सिंग ऑफिसर के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगुठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन मटमैला प्राप्त हुआ। धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरकर मार्क- R–1 व R–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् श्रीमती रेखा कुमारी नर्सिंग ऑफिसर को परिवादिया से प्राप्त की गई रिश्वत राशि पेश करने के निर्देश पर अपनी पहनी स्वेटर के दाहिनी साईड की जेब से 500–500 के नोट निकाल कर पेश किये जो गवाह श्री सुमित गिरि को दिलवाकर गिनवाये गये तो 500–500 के तीन नोट कुल 1500 रूपये होना बताये। दोनों गवाहान से बरामद नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाने पर नोटों के नम्बर क्रमशः 5 AD 491757, 6 MP 430009, 7 KM 486625 फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट के अनुसार ही पाये गये। नोटों को सफेद कपड़े के साथ सील किया गया। तत्पश्चात् उपरोक्त धोवन कार्यवाही से प्राप्त धोवन की शीशीयों को सील चिट करने हेतु पृथक-पृथक चिट तैयार कर शीशीयों पर चस्पा की गई। सभी शीशीयों को पीतल की सील से सील मोहर किया गया। रिश्वती राशि नोटों को भी सील मोहर किया गया। रिश्वत राशि श्रीमती रेखा कुमारी नर्सिंग ऑफिसर के पहनी स्वेटर की जेब से बरामद होने से स्वेटर की जेब का धोवन आवश्यक होने से श्रीमती रेखा कुमारी नर्सिंग ऑफिसर को स्वेटर उतार कर पेश करने के निर्देश पर स्वेटर बरंग लाल जिसमें काले व भूरे क्रीम रंग की डिजाईन बनी हुई है, को रेखा कुमारी ने अपने शरीर से उतारकर पेश किया। तत्पश्चात् श्री बजरंग सिंह सउनि. से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया जो सभी हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के गिलास में स्वेटर की दाहिने साईड की जेब को उल्टा कर दो-तीन बार डूबोकर धोवन कार्यवाही की गई तो स्वेटर की जेब का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। घोल को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर मार्क P–1 व P–2 अंकित कर शीशीयों को सील चिट किया गया। उक्त स्वेटर की जेब को सुखाकर स्वेटर को एक सफेद कपड़े की थैली में सिल चिट कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। श्रीमती रेखा कुमारी नर्सिंग ऑफिसर से परिवादिया के प्रथम डिलीवरी वर्ष 2016 का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑनलाईन करने व अब ममता कार्ड बनाने के कार्य के बारे में पूछने पर बताया कि साहब ममता कार्ड बनाने का काम मेरा नहीं है। ममता पुरोहित की पूर्व डिलीवरी का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मैनें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तौलियासर की आईडी से श्री हजारी मेघवाल कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदाकर्मी से ऑनलाईन करवा दिया जिसका मैनें ममता पुरोहित को बता दिया था। इनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तैयार हो गया है या नहीं मुझे पता नहीं मैनें कम्प्यूटर ऑपरेटर से ऑनलाईन करवाया था। श्रीमती ममता पुरोहित ने बताया कि मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला नहीं है। ऑनलाईन चढ़ाने का इन्होनें मुझे बताया था। मौका की कार्यवाही की विडियोग्राफी सरकारी मोबाईल से श्री हरिराम कानिस्टेबल से करवायी गई। उपरोक्त घटनाक्रम से आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी नर्सिंग ऑफिसर (जीएनएम) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तौलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018 का प्रथम दृष्ट्या घटित होना पाये जाने से जरिये पत्र श्री रेखा कुमारी को जुर्म से सूचित किया गया। वक्त ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नम्बर 86 की फर्द नमूना सील तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही कागजात किया गया। तत्पश्चात फर्द कारण गिरफ्तारी तैयार कर आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी जीएनएम जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपियां श्रीमती रेखा कुमारी के बताये अनुसार

भाई श्री रविन्द्र डागर पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण निवासी जोझू खूर्द पुलिस थाना जोझूकलां जिला चरखी दादरी हरियाणा को उसके मोबाईल नम्बर पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दी गई। वक्त रिश्वत लेन-देन रिकार्ड वार्ता की सरकारी लैपटॉप पर रूबरू परिवादिया व स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में श्री दिलीप कुमार कानि. 71 की सहायता से फर्द ट्रांन्सक्रिप्ट तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड से दो पेन ड्राईव तैयार कर एक पेन ड्राईव व मूल मैमोरी कार्ड को पृथक-पृथक सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर किया गया व एक पेन ड्राईव को खुली अवस्था में रखा जाकर फर्द पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात विडियोग्राफी के सरकारी मोबाईल को लैपटॉप पर कनेक्ट करके अवलोकन किया गया तो मोबाईल में स्थापित किये गये एसडी कार्ड में विडियोग्राफी की फाईल सेव होना नही पाया गया। मोबाईल की मैमोरी में विडियोग्राफी की एक फाईल 20260130–140325 ऑटो सेव होनी पाई गई है। मोबाईल की मैमोरी से उक्त विडियो फाईल के दो पेन ड्राईव तैयार किये गये। एक पेन ड्राईव को सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर किया जाकर थैली पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव को खुली अवस्था में रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द सील चिट सरकारी मोबाईल से तैयार विडियोग्राफी का तैयार पेन ड्राईव तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नम्बर 86 को अनुपयोगी कर नष्ट कर फर्द नष्टीकरण तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये । मौका की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी जीएनएम मय ब्यूरो स्टाफ एवं स्वतन्त्र गवाहान के ट्रेप कार्यवाही का वजह सबूत हमराह लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोलियासर से जरिये निजी वाहनों के श्रीडूंगरगढ़ के लिये रवाना होकर उप जिला चिकित्सालय श्रीडूंगरगढ़ पहुंचकर आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। बाद स्वास्थ्य परीक्षण रवाना होकर वक्त 11-40 पी.एम पर पुलिस थाना सदर बीकानेर पंहुचा। आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी को जरिये पत्र पुलिस थाना सदर बीकानेर में बन्द हवालात करवाया गया। तत्पश्चात पुलिस थाना सदर बीकानेर से रवाना होकर 11-55 पी.एम पर भ्रनिब्यूरो चौकी पंहुचा। दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही से रूखस्त किया गया। ट्रेप कार्यवाही में सत्यापन वार्ता दिनांक 22-01-2026 का वजह सबूत एवं टेªप दिनांक 30-01-2026 का शील्डशुदा वजह सबूत श्री राजेन्द्र हैड कानि. मालखाना ईंचार्ज को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में दर्ज करवाया। दिनांक 31-01-2026 को आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी जीएनएम को पुलिस थाना सदर की हवालात से प्राप्त कर जरिये रिमाण्ड फार्म माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश फरमाने पर जे.सी. वारंट प्राप्त कर आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर मे जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया कि परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित पत्नी श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित उम्र 36 वर्ष निवासी ग्वालनाडा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा हाल बीएसएफ एसटीसी गेट के पास, बालसमन्द, जोधपुर हाल पीहर गांव तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर से आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी जीएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोलियासर द्वारा ममता कार्ड बनाने एवं वर्ष 2016 में परिवादिया की हुई प्रथम डिलीवरी का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑनलाईन करने की ऐवज में रिश्वत की मांग करने पर परिवादिया द्वारा ब्यूरो में कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 22-01-2026 को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी जीएनएम द्वारा परिवादिया श्रीमती ममता पुरोहित से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑनलाईन करने एवं वर्तमान में ममता कार्ड बनाने की ऐवज में रिश्वत की मांग करना पाया गया। रिश्वत मांग के अनुसरण में वक्त ट्रेप दिनांक 30-01-2026 को आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी जीएनएम द्वारा परिवादिया से 1500 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। रिश्वत राशि आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी जीएनएम के पहनी स्वेटर की दाहिने साईड की जेब से बरामद हुई है। आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी जीएनएम का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 के तहत घटित होना पाया गया। अतः आरोपिया श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री अनिल कुमार पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण उम्र 34 साल निवासी वीपीओ चांदगोठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू हाल नर्सिंग ऑफिसर (जीएनएम) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (जय कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (इन्टे) बीकानेर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जय कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (इन्टे) बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीया श्रीमती रेखा कुमारी पत्नी श्री अनिल कुमार पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण उम्र 34 साल निवासी वीपीओ चांदगोठी तहसील राजगढ़ जिला चूरू हाल नर्सिंग ऑफिसर (जीएनएम) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 11 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 170-73 दिनांक 02-02-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय,

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2- निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें- बीकानेर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Anand Mishra **Rank (पद):** निरीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/02/2026 16:54:53

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)